संख्या-104/2017/1616/22-2-2016-17(39)/2011

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 13 फरवरी, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गोपाल जी पुत्र श्री बैजनाथ निवासी-जनपद-गोरखपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34884/प्रो0-5-दयायाचिका समिति की बैठक 12-09-2016 दिनांक 26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी गोपाल जी पुत्र बैजनाथ निवासी-टेल्हनापार, थाना-चौरी-चौरा, जिला-गोरखपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीन के विवाद को लेकर दिनांक 26-03-1980 को बन्दी ने अपने 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अकारी व भाला से 02 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-298/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302, 302/34, आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर द्वारा दिनांक 30-01-1981 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहा है तथा 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो गयी है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.05.2016 तक 19 वर्ष 07 माह 04 दिन की अपरिहार एवं 26 वर्ष 01 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अनुसार बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर है एवं बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है तथा बन्दी उपरोक्त के जेल से छूटने पर पुन: अपराध किये जाने की सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी गोपाल जी (बन्दी संख्या-38603) पुत्र श्री बैजनाथ, निवासी जनपद-गोरखपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई, सम्यक् विचारोपरान्त, शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-104/2017/1616/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in